

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 34 सन 2020

अनवान :-

1. रमेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति नाई निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
निर्णय दिनांक :- 01/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 404/407 की कुल 6.8057हैक् भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामनिवास दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रमेश है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम रमेश दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 404/407 की कुल 6.8057हैक् भूमि में वादी का नाम रामनिवास के स्थान पर रमेश कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 404/407 की कुल 6.8057हैक् भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामनिवास दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रमेश है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम रमेश दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 404/407 की कुल 6.8057हैक् भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रामनिवास दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम रमेश कुमार है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम रमेश कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर में स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 404/407 की कुल 6.8057हैक् भूमि सायल के नाम रामनिवास अंकित है स्थान पर रमेश कुमार उर्फ रामनिवास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 1/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 34/2020 अनवानी रमेश कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. रमेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति नाई निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम


1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 34/2020 अनवानी रमेश कुमार बनाम सरकार में दिनांक 01/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 404/407 की कुल 6.8057 हैक्ठु भूमि सायल के नाम रामनिवास अंकित है स्थान पर रमेश कुमार उर्फ रामनिवास संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )